न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपीडी/टीए/1963/2005/भरतपुर

1 निर्भय पुत्र कंचनसिंह
2 नैमी पुत्र कंचनसिंह
3 नेकराम पुत्र रामस्वरूप
4 हरिराम पुत्र रामस्वरूप
5 राममूर्ति बेवा कारे
6 राजेन्द्र पुत्र कारे
7 वीरपाल पुत्र कारे
8 चन्दर पुत्र कारे
9 जगदीश पुत्र कारे
10 रामबाबू पुत्र कारे
11 मानसिंह पुत्र वीरसिंह
12 कुंवरसिंह पुत्र किशनसिंह
13 ढोली पुत्र किशनसिंह
14 निरंजन पुत्र किशनसिंह समस्त जाति जाट निवासी ग्राम पचौरा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर

अपीलार्थीगण

बनाम

1 तौरनसिंह पुत्र गोविन्दसिंह
2 केरनसिंह पुत्र गोविन्दसिंह
3 रामवीरसिंह पुत्र गोविन्दसिंह
4 समन्दरसिंह पुत्र गोविन्दसिंह
5 लाखनसिंह पुत्र गोविन्दसिंह
6 अशोक पुत्र गोविन्दसिंह समस्त जाति जाट निवासी पचौरा
7 श्रीमती शारदा बेवा हीरालाल
8 राजेन्द्र पुत्र हीरालाल
9 अन्तरसिंह पुत्र हीरालाल
10 श्यामवीर पुत्र हीरालाल सभी निवासी पचौरा
11 रसाल पुत्र प्यारे निवासी पचौरा तहसील कुम्हेर
12 राजस्थान जरिये तहसीलदार

प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ
ज्ञी प्रवीण गुप्ता, सदस्य
श्री मोडूदान देथा, सदस्य

उपस्थितः श्री अशोक अग्रवाल वकील अपीलार्थीगण
श्री जे.पी.माथुर वकील प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांकः.8.7.2019

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गित राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा प्रकरण संख्या 153/03 में पारित निर्णय दिनांक 16. 4.05 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी प्रत्यर्थी संख्या 1 से 6 के पूर्वाधिकारी (पिता) ने एक वाद अधिनियम की धारा 88, 89 व 188 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादी वर्तमान प्रत्यर्थी संख्या 7 से 11 के पूर्वज हीरालाल व रसाल साबिक आराजी खसरा नम्बर 317, 316, 318 कुल किता 3 कुल रकबा 16 बिस्वा वाके पचौरा के खातेदार काश्तकार एवं काबिज थे। उक्त आराजीयात से प्रतिवादी वर्तमान अपीलार्थीगण का कोई सरोकार नहीं था। आराजी मनबढ से वादी के हिस्से में आ गई। भू प्रबन्ध के दौरान उक्त आराजीयात से नवीन खसरा नम्बर 686/407 रकबा 10 एयर बनाये गये। जो साढे बारह बिस्वा होता है। साबिक के मुकाबले नवीन में रकबा साढे तीन बिस्वा कम किया गया तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 13 वर्तमान अपीलार्थीगण को सह खातेदार दर्ज कर दिया। भू प्रबन्ध विभाग को इस प्रकार इन्द्राज करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः वाद डिक्री किया जावे। तथा रकबे की पूर्ति कराने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 13 ने जबाबदावा प्रस्तुत कर वाद का खण्डन किया। जिसमें आराजी क्रय करने, स्वंय के मकानात बने होने तथा भू प्रबन्ध ने कोई गलती नहीं की, का कथन किया। दौराने कार्यवाही प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर के न्यायालय में स्थानान्तरित किया गया है। विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर ने दावे व जबाबदावे के आधार पर तनकियात कायम की एवं निर्णय दिनांक 17.5.2003 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया। इसके विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर ने निर्णय दिनांक 16.4.2005 से अपील स्वीकार कर वादी का वाद डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि वादी द्वारा सम्पूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने सभी साक्ष्यों को देखे बिना ही निर्णय पारित

किया है। विवादित भूमि के संबधं में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में द्वितीय अपील उनवानी कचंनसिंह व अन्य बनाम प्यारे व अन्य में आपसी राजीनामा प्रस्तुत किया है जिसमें खसरा नम्बर 317 अन्य खसरा नम्बरों के कंचनसिंह वगैरा की मानी गई है तथा गम्भीरी द्वारा विक्रय किया गया है वह कायम रहेगा। प्रतिवादी अपीलार्थीगण ने गम्भरी व पतरी से आराजी खसरा नम्बर 317 खरीदा है तथा खसरा नम्बर 316 में प्रतिवादी अपीलार्थीगण का स्वंय तथा खसरा नम्बर 318 को प्रतिवादी अपीलार्थीगण ने गम्भरी व पतरी से क्रय किया है। वादीगण ने सम्पूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। वाद को साबित कराने का दायित्व वादी का होना है। प्रतिवादी की कमजोरी को आधार बनाकर वाद डिक्री नहीं किया जा सकता। राजस्व अपील प्राधिकारी ने विचारण न्यायालय के तनकीवार विवेचन का तनकीवार विवेचन कर खण्डन नहीं कर साक्ष्य को देखे बिना ही सरसरी तौर पर निर्णय दिया है जो अनुचित होने से यह अपील स्वीकार की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 316, 317 व 318 में प्रतिवादी अपीलार्थीगण का नाम सह खातेदार के रूप में दर्ज नहीं है। यह तथ्य उपलब्ध राजस्व अभिलेख जमाबन्दियों आदि से प्रमाणित होता है। सिविल न्यायालय में चले वाद एवं माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत राजीनामे से वादी प्रत्यर्थीगण बाध्य नहीं है क्योंकि वे उस प्रकरण में पक्षकार ही नहीं थे। भू प्रबन्ध के दौरान साबिक आराजीयात से बने नवीन खसरा नम्बर 686/407 पर साबिक अभिलेख के अनुसार ही खातेदार का नाम दर्ज करना चाहिये था। परन्तु भू प्रबन्ध विभाग ने गलत तरीके से प्रतिवादी अपीलार्थीगण का नाम भी अंकित कर दिया जो विधि विरूद्ध होने से राजस्व अपील प्राधिकारी अपील को स्वीकार करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की गई है। अतः यह अपील खारिज की जावे।

5. हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. विचारण न्यायालय ने यह मानते हुए कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में वादी के पिता प्यारे व भाई रसाल ने प्रतिवादीगण वर्तमान अपीलार्थीगण के साथ राजीनामा दिनांक 22.10.81 प्रस्तुत किया है जिससे दोनों पक्ष पाबन्द हैं, में खसरा नम्बर 317 रकबा 3 बिस्वा वर्तमान प्रतिवादी अपीलार्थीगण को देना स्वीकार किया है तथा बयनामा दिनांक 3.6.67 को बदस्तूर माना है। इस आधार पर वादी का वाद साबित नहीं मानकर खारिज किया है। वादी ने खसरा नम्बर 316 का रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया तथा गावं पडौस की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है तथा वादी की खातेदारी व कब्जा प्रमाणित नहीं होने तथा दस्तावेजी व मौखिक

साक्ष्य से प्रमाणित करने में असफल रहना मानकर वाद वादी खारिज किया है। इसके विपरीत राजस्व अपील प्राधिकारी ने यह मानते हुए कि उक्त राजीनामा में वादी गोविन्दसिंह पक्षकार नहीं है जिससे राजीनामा से प्रतिवादी को कोई मदद नहीं मिलती है तथा जमाबन्दी सम्वत 2022 से 2025 में विवादित आराजीयात वादीगण व हीरालाल व रसाल की गैर खातेदारी में दर्ज होना मानते हुए अपील स्वीकार कर वाद डिक्री किया है।

7. पत्रावली पर राजीनामा दिनांक 22.10.81 की फोटो प्रति ही उपलबध है। ऐसी स्थिति में ऐसी फोटोप्रति पर निर्भर रहना जिसे साक्ष्य में इस रूप में ग्रहण करने का आदेश नहीं हो, निर्णायक साक्ष्य मानना नई त्रुटि को जन्म दे सकता है। साथ ही इस फोटो प्रति के बारे में विवाद नहीं होने से तर्क के लिए उसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यह राजीनामा माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन द्वितीय अपील उनवानी कंचनसिंह व अन्य बनाम प्यारेलाल व अन्य में पेश किया गया है। इसमें दोनों पक्षो ने खसरा नम्बर 317 रकबा 3 बिस्वा प्रतिवादी अपीलार्थीगण की होना व बयनामा दिनांक 3.6.67 को सही माना है। इस राजीनामे से दोनों पक्ष पाबन्द हैं। वादी प्रत्यर्थीगण का यह कथन कि गोविन्दसिंह वादी इसमें पक्षकार नहीं है, कोई महत्व नहीं रखता है क्योंकि इसमें गोविन्दसिंह के पिता प्यारे व भाई रसाल पक्षकार हैं जो सह खातेदार हैं।

8. किन्तु सर्व प्रथम यह देखने योग्य है कि क्या वादी ने अपना वाद साक्ष्य से साबित किया था। इसके साथ ही वादी प्रत्यर्थीगण द्वारा अपने वाद में विवादित आराजीयात का मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043 से 2062 का प्रस्तुत किया गया है जिसमें साबिक खसरा नम्बर 316, 317 व 318 से नवीन खसरा नम्बर 686/407 बनना बताया गया है। परन्तु वाद में सम्वत 2043 की कोई जमाबन्दी (अधिकार अभिलेख) प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादीगण ने वाद के साथ जमाबन्दी सम्वत 2022 से 2025 एवं सम्वत 2054 से 2057 की प्रस्तुत की है जबकि मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043 का प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा वाद में सम्पूर्ण एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। आधी अधूरी साक्ष्यों के आधार पर वाद डिक्री नहीं किया जा सकता। चूंकि राजस्व अभिलेख में परिवर्तन सम्वत 2043 के मिलान क्षेत्रफल के अनुसार हुआ है। ऐसी स्थिति में सम्वत 2043 की जमाबन्दी प्रस्तुत की जाना आवश्यक है। वादीगण द्वारा वाद को साक्ष्यों से साबित नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद डिक्री किये जाने योग्य नहीं होने से हम विचारण न्यायालय के निर्णय का समर्थन करना उवं प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय को निरस्त करना न्यायोचित समझते हैं।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह अपील स्वीकार की जाती है एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर का निर्णय व डिक्री दिनांक 16.4.2005 निरस्त किया जाता है तथा उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर का निर्णय व डिक्री दिनांक 17.5.2003 यथावत रखे जाते हैं।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोडूदान देथा)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य